कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2017–18 की योजना – तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत लातेहार जिला के कुल 280 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों एवं अन्य विभागीय कार्य हेतु मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की जानी है जिसके कय करने हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 02.05.2017 को अपह्रन 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

दिनांक 03.05.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपायुक्त लातेहार द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी।

विस्तृत जानकार / निविदा की शर्ते लातेहार जिला के वेब साइट **www.jharkhand.gov.in** पर एवं जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

21/4/017

जिला मत्स्य पदाधिकारी

लातेहार।

कार्यालय :– जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

मत्स्य स्पॉन से क्रय हेतु निविदा की शर्त्तें

1. मत्स्य स्पॉन आपूर्तिकर्त्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए, केवल लातेहार जिले में विभाग द्वारा निर्मित मत्स्य हैचरी के संचालक को हीं हैचरी के उत्पादन क्षमता के अनुसार समान मूल्य पर प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य जिले के सरकार / मत्स्य विभाग द्वारा निर्मित हैचरी संचालक को समान मूल्य पर प्राथमिकता नही दी जायेगी।
2. मत्स्य स्पॉन आपूर्तिकर्त्ता को मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रुडर का आंकड़ा के साथ प्रति चरण स्पॉन उत्पादन की क्षमता देना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 36140.00 (छत्तीस हजार एक सौ चालीस) रूपया मात्र का बैंक ड्राफ्ट/ बैकर्स चेक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से जो लातेहार में भुगतेय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को पैन कार्ड नं0 का एवं आयकर रिर्टन तीन वर्ष का (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
5. झारखण्ड राज्य के सरकारी क्षेत्र में मत्स्य स्पॉन आपूर्ति का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तीन वर्ष से अधिक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी तथा मत्स्य हैचरी एवं स्पॉन उत्पादन से संबंधित सरकारी निबंधन दस्तावेज का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता का स्पॉन का दर (परिवहन पैकेंजिंग सहित) प्रति लाख के दर से अंकित करना होगा।
7. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवंश मत्स्य स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
8. निविदादाता को दो लिफाफे में यथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग डालना आवश्यक होगा। प्रथम लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा एवं दुसरे में वित्तीय निविदा लिखना आनिवार्य होगा।
9. निविदा प्राप्ति की स्थान अंतिम तिथि एवं समय :– जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार दिनांक 02.05.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक।
10. निविदा खुलने का स्थान तिथि एवं समय :– उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 03.05.2017 के पूर्वाह्न 10.30 बजे निर्धारित है।

नोट:– किसी तरह के विवाद का निपटारा लातेहार जिला अन्तर्गत मान्य होगा।

21/4/017

जिला मत्स्य पदाधिकारी
लातेहार ।